न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपीलसंख्या 120/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/289)

1. जसवन्त पुत्र श्री धर्मपाल, जाति जाट,
2. फकीरचन्द पुत्र रूडाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगमाल पुत्र नत्थनराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. सुबेसिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट, निवासी ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 14.11.2022 मु0नं0 07/2022 उनवानी जगमाल बनाम सुबेसिंह

उपस्थित :–

1. श्री प्रहलाद सिंह चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री विजयसिंह राठौड, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–27.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 14.11.2022 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 0.0300 है0, 450/208 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर को आदेश दिये गये कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 0.0300 है0, 450/208 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर से लगती आराजी के सभी काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्वसूचित कर उनकी मौजूदगी में पुनः पैमाईश कर रकबे को पूरा करते हुए पत्थरगढी करवाई जावे एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2022 पारित किये गये हैं ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स जसवन्त पुत्र श्री धर्मपाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 14.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेसपोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेसपोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 0.0300 है0 व खसरा नम्बर 450/208 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम खैराल, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित है। जिसमें रेसपोडेन्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जो राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य अंकित किये थे कि विवादित आराजी की मौके की वास्तविक स्थिति हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने यह भी तथ्य अंकित किया था कि दिनांक 13.05.2022 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश भू.अ./2022/ 2856/60 दिनांक 05.05.2022 के द्वारा किया गया, जबकि सीमाज्ञान बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई और ना ही सीमाज्ञान विधि अनुरूप किया गया है। ना ही सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मौजूद है। अपीलान्ट को उसके कब्जे की भूमि से पत्थरगढ़ी की आड़ में बेदखल नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट अप्रत्यक्ष रूप से अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते है। सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की जाकर ऑफिस में ही तैयार की गई है तथा रेस्पोडेन्ट उक्त आदेश की आड़ में अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है जबकि कानूनन किसी भी भूमि पर अतिक्रमण होने पर भी उसे विधि के निहित सिद्धान्तों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व पत्थरगढी किये जाने वाले खसरा नम्बरान के सभी पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने से पूर्व पत्थरगढी से प्रभावित होने वाले समस्त पक्षकारान को सूचित किया जाना कानूनन आवश्यक होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को भी बिना समझे अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है।

अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में कभी नही रही, उक्त अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेसपोडेन्ट संख्या 1 व उसके साथी आये और अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 210/1 व 209 की नाप–जोख करने लगे तथा अपीलान्ट की सीमा में गड्डे खोदने लगे जिसका विरोध अपीलान्ट्स द्वारा किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रति दिखाई और कहा कि मैनें अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा लिया है और उसी अनुसार पत्थरगढ़ी करवाऊगा जिस पर अपीलान्ट काफी आश्चर्य चिकित हुआ और उक्त अपीलाधीन आदेश की

2 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नकल हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर नकल दिनांक 23.06.2023 को प्राप्त हुई इसके पश्चात् अपने अभिभाषक से कानूनी राय व सलाह लेकर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई एवं उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तलबी नोटिस जारी किये गये है। जिनकी विधिवत रूप से तामिल होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को विलम्ब करने के उद्देश्य से जानबुझकर उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 0.0300 है0 व खसरा नम्बर 450/208 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम खैराल में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि दिनांक 13.05.2022 को रेस्पोडेन्ट की आराजीयात का विधिवत रूप से सीमाज्ञान किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किये गये जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नकल प्राप्त होने की दिनांक 23.06.2023 से होना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हाल अपीलान्टस को दिनांक 24.05.2022 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.11.2022 द्वारा अपीलान्ट्स को जारी रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस के परिपेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हाल अपीलान्टस की अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को पत्थरगढी के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रही है। इसलिये अपीलान्ट का यह कथन पोषणीय नहीं माना जा सकता है कि उसे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में चाहा गया अनुतोष बाबत् सभी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2022 में पूर्व में ही प्रदत है। जहॉं तक अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रश्न है। अपीलान्ट बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का यह कथन की सभी पड़ौसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पोषणीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि से लगती हुई भूमि के सभी खातेदारों को पूर्व सूचित कर उनकी मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करने का आदेश पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर **हाल जिला खैरथल तिजारा** द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर